न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 149/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
खीयाराम पुत्र नेनाराम जाट निवासी ग्राम नेवरा रोड तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड गोदाम नेवरा जरिये अध्यक्ष तोगाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी नेवरा रोड तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2– रामूराम पुत्र पाबूराम 3– सोनाराम पुत्र पाबूराम 4– चुतराराम पुत्र पाबूराम 5– नवलाराम पुत्र पाबूराम 6– पुरखाराम पुत्र पाबूराम समस्त जातियान जाट निवासीगण नेवरा रोड तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 7– तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2020 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 901/2020 अनवान ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बनाम खीयाराम वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सोनाराम चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 1 व 3 से 6 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11–07–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 नेवरा गोदाम की खातेदारी कब्जा काश्त सुदाभूमि खसरा नंबर 781/3 रकबा 1 बीघा किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है तत्पश्चात कथन किया कि अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 790 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांशी आई हुई है । उपरोक्त भूमि मे कब्जा करने की नियत से दखलअंदाजी शुरू करने पर तहसीलदार ओसियां के समक्ष अपने खातेदारी की भूमि की पैमाईश का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार के आदेश के तहत सीमाज्ञान संबंधित पक्षकार को सूचित कर मीमो ट्रेस की सहायता से कच्चे मुटाम स्थापित किये गये और उपरोक्त मुटाम लगाने के पश्चात अपीलांट द्वारा मौके पर विवाद पैदा कर दिया जिसके कारण पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना आवश्यक होने का कथन करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई के महत्वपूर्ण अधिकारो से वंचित करते हुए बिना किसी प्रकार के सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित किये गये आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलाट न कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण दिनांक 25–2–2020 को दर्ज करते हुए दिनांक 11–3–20 को पत्रावली तलबी हेतु नियत की गई जिस पर अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थिति दी तत्पश्चात पत्रावली 24–2–20 को शेष अप्रार्थीगण की तलबी मे नियत थी जो पीठासीन अधिकारी के अन्य राज कार्य मे व्यस्थ होने के कारण पेशी दिनांक 5–10–20 तक इल्तवा होती रही तथा शेष अप्रार्थीगण की तलबी नही की गई और दिनांक 28–10–20 को किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा जवाब आदि प्रस्तुत किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपने अधिवक्ता से तारीख पेशी जानने के लिए सम्पर्क किया तो अधिवक्ता ने बताया कि मोजुदा प्रकरण मे कोविड–19 की वजह से किसी प्रकार से इफेक्टिव सुनवाई नही की जा रही है और उसी अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा भी प्रकरणो के अंतिम निस्तारण के संबंध मे दिशा निर्देश जारी किये गये थे और अधिवक्ता के उक्त सूचना के कारण अपीलांट अधिवक्ता से नियत समयावधि मे सम्पर्क नही कर सका परंतु दिनांक 2–12–2020 को उपरोक्त प्रकरण का जवाब प्रस्तुत करने के संबंध मे अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–10–20 के द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जाने की जानकारी हुई इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना पारित किया हुआ होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–10–20 को पारित किया गया था उक्त निर्णय के विरूद्ध अन्य किसी खातेदार ने कोई आपत्ति नही की केवल अपीलांट खीयाराम ही कोर्ट मे आया है बाकि किसी ने कोई अपील नही की है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट स्वयं ने रेस्पो0 संख्या 1 ग्राम सेवा सहकारी समिति को जमीन दान मे दी थी तथा उक्त भूमि पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गोदाम आदि का निर्माण हो चुका है इसलिए अपीलांट को अब किसी तरह का

विवाद नही करना चाहिये अतः अपील अपीलांट खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट खीयाराम का नोटिस तो तामिलसुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे है तथा इनकी ओर से आदेशिका दिनांक 11–3–20 मे अधिवक्ता की अण्डरटेकिंग आई है इसलिए यह नही माना जा सकता कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28–10–2020 को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । वकुलाय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विवेचन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय मे खसरा नंबर 781/3 का सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात विवाद की स्थिति मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना दृष्टिगोचर होता है । जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है । खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि की नियमानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी का अधिकार प्राप्त है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–10–2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर